

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ०प्र०। (अमेठी, बस्ती, चित्रकूट, गाजिपुर, हरदोई, हाथरस, कानपुर देहात, कासगंज, कुशीनगर,
महाराजगंज, मथुरा, शामली, श्रावस्ती एवं सिद्धार्थनगर को छोड़कर)

पत्रांक:- SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/ 3474

दिनांक: 17.7.2019

विषय:- हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर तैनात स्टाफ नर्स, ए०एन०एम० तथा आशा को एन०सी०डी० माड्यूल के अर्न्तगत प्रशिक्षण एवं फैमिली फोल्डर के मुद्रण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों के चिन्हित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर स्थापित किये जा रहे हैं। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर सभी व्यक्तियों को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जानी है। इसके अर्न्तगत क्षेत्र के सभी 30 वर्ष से ऊपर स्त्री एवं पुरुषों की गैर संचारी रोगों हेतु स्क्रीनिंग भी की जानी है।

गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग एवं उपचार हेतु हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर से संबंधित समस्त स्टाफ नर्स, ए०एन०एम० एवं आशा को भारत सरकार द्वारा निर्धारित एन०सी०डी० माड्यूल में प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण के पश्चात स्टाफ नर्स एवं ए०एन०एम० की सहायता से आशाओं द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त घरों का भ्रमण कर सूचनाएं फैमिली फोल्डर में अंकित की जानी है तथा 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त पुरुष एवं महिलाओं की गैर संचारी रोगों हेतु स्क्रीनिंग कराई जानी है। उक्त स्क्रीनिंग हेतु फैमिली फोल्डर एवं सी-बैक फॉर्म का मुद्रण भी जनपद स्तर पर कराया जाना है, जिसके लिए डैप में धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 400 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु एन०सी०डी० माड्यूल में 856 स्टाफ नर्स का प्रशिक्षण सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र (RHFUTC) पर कराया जायेगा जिस हेतु एफ०एम०आर० कोड U.9.5.9 में कुल रू० 28.20 लाख की धनराशि संबंधित सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र के जनपद को संलग्न फाट एवं दिशा-निर्देश के साथ आवंटित की जा रही है (संलग्नक-1)।

इसके अतिरिक्त जनपदीय स्तर पर ए०एन०एम० एवं आशाओं का एन०सी०डी० से संबंधित प्रशिक्षण कराया जाना है। 2031 ए०एन०एम० के प्रशिक्षण हेतु एफ०एम०आर० कोड U.8.1.10.3.2 में कुल रू० 49.28 लाख की धनराशि तथा 4719 शहरी आशाओं के प्रशिक्षण हेतु एफ०एम०आर० कोड U.8.1.10.3.1 में कुल रू० 113.10 लाख की धनराशि दिशा-निर्देशों के साथ संबंधित जनपद को संलग्न फाट के अनुसार आवंटित की जा रही है (संलग्नक-2)।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 405 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु फैमिली फोल्डर एवं सी-बैक फॉर्म का मुद्रण जनपद स्तर पर समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इस हेतु एफ०एम०आर० कोड U.12.1 Printing activities के अन्तर्गत फैमिली फोल्डर एवं सी-बैक फॉर्म मुद्रण @ रू० 10/- प्रति फैमिली फोल्डर एवं सी-बैक फॉर्म प्रति शहरी आशा प्रति 400 household की दर से 405 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु कुल रू० 191.04 लाख की धनराशि डैप द्वारा जनपदों को आवंटित की जा चुकी है तथा दिशा-निर्देश पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहें है (संलग्नक-3)।

स्टाफ नर्स, आशा एवं ए0एन0एम0 के प्रशिक्षण हेतु निम्न तालिकानुसार जनपदों को धनराशि अवमुक्त/आवंटित की जा रही है-

S.No	Districts	No. of HWC	Multiskilling of Staff Nurse (FMR code U.9.5.9)				Multiskilling of U-ASHA (FMR code U.8.1.10.3.1)			Multiskilling of FHW (ANM) (FMR code U.8.1.10.3.2)			Total Budget Allocated to District	
			Approved SN at HWC	RHFUTC	Total SN to be trained per RHFUTC	No. of batches to be trained	Batch cost (@ Rs. 94,005 per batch in Rs.)	Approved U-ASHA at HWC	No. of batches to be trained	Batch cost (@ Rs. 75,400 per batch in Rs.)	Approved ANM at HWC	No. of batches to be trained		Batch cost (@ Rs. 88,005 per batch in Rs.)
1	Agra	25	45	Agra	86	3	282015.00	445	14	1055600.00	11	4	352020.00	1689635.00
2	Aligarh	8	17					174	6	452400.00	40	2	176010.00	628410.00
3	Etah	2	3					18	0	0.00	10	0	0.00	0.00
4	Firozabad	8	18					147	5	377000.00	46	2	176010.00	553010.00
5	Mainpuri	1	3					10	0	0.00	6	0	0.00	0.00
6	Allahabad	16	85	Allahabad	96	3	282015.00	254	8	603200.00	10	4	352020.00	1237235.00
7	Fatehpur	1	1					9	0	0.00	6	0	0.00	0.00
8	Kaushambi	1	2					3	0	0.00	2	0	0.00	0.00
9	Mirzapur	2	3					19	0	0.00	12	0	0.00	0.00
10	Pratapgarh	1	3					4	0	0.00	6	0	0.00	0.00
11	Sant Ravidas Nagar	1	2					18	0	0.00	8	0	0.00	0.00
12	Bareilly	16	40	Bareilly	48	2	188010.00	167	6	452400.00	83	3	264015.00	904425.00
13	Badaun	1	2					17	0	0.00	5	0	0.00	0.00
14	Pilibhit	1	2					26	1	75400.00	10	0	0.00	75400.00
15	Shahjahanpur	2	4	Faizabad	22	1		27	1	75400.00	6	0	0.00	75400.00
16	Ambedkar Nagar	2	5					16	0	0.00	9	0	0.00	0.00
17	Bahraich	2	3					37	1	75400.00	16	0	0.00	75400.00
18	Balrampur	1	2					20	1	75400.00	6	0	0.00	75400.00
19	Barabanki	1	3					4	0	0.00	7	0	0.00	0.00
20	Faizabad	3	5				94005.00	24	1	75400.00	13	0	0.00	169405.00
21	Gonda	1	1					2	0	0.00	5	0	0.00	0.00
22	Sultanpur	2	3	Gorakhpur	38	1		45	2	150800.00	10	0	0.00	150800.00
23	Deoria	2	4					29	1	75400.00	9	0	0.00	75400.00
24	Gorakhpur	19	31				94005.00	279	9	678600.00	68	2	176010.00	948615.00
25	Sant Kabir Nagar	1	3					2	0	0.00	3	0	0.00	0.00
26	Banda	2	4	Jhansi	43	2		6	0	0.00	15	0	0.00	0.00
27	Hamirpur	1	3					15	0	0.00	1	0	0.00	0.00
28	Jalaun	4	7					35	1	75400.00	22	1	88005.00	163405.00
29	Jhansi	10	21				188010.00	84	3	226200.00	36	1	88005.00	502215.00
30	Lalitpur	2	3					3	0	0.00	12	0	0.00	0.00
31	Mahoba	2	5					19	0	0.00	9	0	0.00	0.00
32	Auraiya	1	2	Kanpur	115	4		20	1	75400.00	7	0	0.00	75400.00
33	Etawah	2	4					16	0	0.00	11	0	0.00	0.00
34	Farrukhabad	3	8					77	3	226200.00	18	0	0.00	226200.00
35	Kannauj	3	7					14	0	0.00	14	0	0.00	0.00
36	Kanpur Nagar	45	94	Lucknow	114	4	376020.00	435	14	1055600.00	225	7	616035.00	2047655.00
37	Lakhimpur Kheri	1	2					3	0	0.00	5	0	0.00	0.00
38	Lucknow	48	98				376020.00	457	15	1131000.00	250	8	704040.00	2211060.00
39	Raebareli	3	6					28	1	75400.00	16	0	0.00	75400.00
40	Sitapur	2	4					13	0	0.00	13	0	0.00	0.00
41	Unnao	2	4	Meerut	190	6		18	0	0.00	14	0	0.00	0.00
42	Baghpat	1	3					4	0	0.00	5	0	0.00	0.00
43	Bulandshar	5	11					84	3	226200.00	32	1	88005.00	314205.00
44	G B Nagar	12	26					92	3	226200.00	74	2	176010.00	402210.00
45	Ghaziabad	33	75					159	5	377000.00	165	6	528030.00	905030.00
46	Hapur	2	4					48	2	150800.00	18	0	0.00	150800.00

S.No	Districts	No. of HWC	Multiskilling of Staff Nurse (FMR code U.9.5.9)				Multiskilling of U-ASHA (FMR code U.8.1.10.3.1)			Multiskilling of FHW (ANM) (FMR code U.8.1.10.3.2)			Total Budget Allocated to District	
			Approved SN at HWC	RHFWTC	Total SN to be trained per RHFWTC	No. of batches to be trained	Batch cost (@ Rs. 94,005 per batch in Rs.)	Approved U-ASHA at HWC	No. of batches to be trained	Batch cost (@ Rs. 75,400 per batch in Rs.)	Approved ANM at HWC	No. of batches to be trained		Batch cost (@ Rs. 88,005 per batch in Rs.)
47	Meerut	21	46			564030.00	486	16	1206400.00	109	4	352020.00	2122450.00	
48	Muzaffarnagar	4	9				49	2	150800.00	35	1	88005.00	238805.00	
49	Saharanpur	11	16				149	5	377000.00	51	2	176010.00	553010.00	
50	Amroha	4	7				54	2	150800.00	19	0	0.00	150800.00	
51	Bijnor	4	7	Moradabad	48	2		30	1	75400.00	21	1	88005.00	163405.00
52	Moradabad	18	28				188010.00	166	6	452400.00	60	2	176010.00	816420.00
53	Rampur	1	1					8	0	0.00	6	0	0.00	0.00
54	Sambhal	2	5					20	1	75400.00	14	0	0.00	75400.00
55	Azamgarh	1	2	Varanasi	56	2		12	0	0.00	5	0	0.00	0.00
56	Ballia	1	2					12	0	0.00	4	0	0.00	0.00
57	Chandauli	2	4					12	0	0.00	11	0	0.00	0.00
58	Jaunpur	1	2					2	0	0.00	5	0	0.00	0.00
59	Mau	3	7					20	1	75400.00	18	0	0.00	75400.00
60	Varanasi	23	39				188010.00	273	9	678600.00	103	3	264015.00	1130625.00
Total		400	856	11	856	30	2820150.00	4719	150	11310000.00	2031	56	4928280.00	19058430.00

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग के लिए निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाना है—

1. विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान PFMS पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान नहीं किया जायेगा एवं समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जायेंगे, जिन्हें ऑडिट अथवा अन्य जाँच के समय प्रेषित किया जायेगा।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनैन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
3. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
4. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

आपसे अनुरोध है कि संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक: SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/

तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र० ।
2. निदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र० ।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ०प्र० ।
4. महाप्रबंधक कम्युनिटी प्रोसेस/उपमहाप्रबंधक एन०सी०डी०, एन०एच०एम० उ०प्र० ।
5. संयुक्त निदेशक, अरबन हेल्थ, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र०, ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० ।
7. समस्त प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र , उ०प्र० ।
8. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी एन०यू०एच०एम०, उ०प्र० ।
9. समस्त डिवीजनल अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, एन.यू.एच.एम., उ०प्र० ।
10. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, उ०प्र० ।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

स्टाफ नर्स की एन0सी0डी0 माड्यूल के अन्तर्गत प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में अनुमोदित प्रदेश के 592 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 405 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर से सम्बन्धित स्टाफ नर्स को भारत सरकार द्वारा प्रेषित एन0सी0डी0 माड्यूल पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। स्टाफ नर्स का 03 दिवसीय (आवासीय) प्रशिक्षण सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

इस हेतु जनपदों को निम्नानुसार धनराशि अवमुक्त/आवंटित की जा रही है-

S.No.	RHFWTC	Total Urban-HWC	Total Staff Nurses to be trained	Total Batches	Total Batch Cost (@ Rs. 94,005 per batch under FMR code U.9.5.9)
1	Agra	44	86	3	282015.00
2	Prayagraj	22	96	3	282015.00
3	Bareilly	20	48	2	188010.00
4	Ayodhya	12	22	1	94005.00
5	Gorakhpur	22	38	1	94005.00
6	Jhansi	21	43	2	188010.00
7	Kanpur	54	115	4	376020.00
8	Lucknow	56	114	4	376020.00
9	Meerut	89	190	6	564030.00
10	Moradabad	29	48	2	188010.00
11	Varanasi	31	56	2	188010.00
Total		400	856	30	28,20,150.00

स्टाफ नर्स एन0सी0डी0 माड्यूल में प्रशिक्षण सम्बन्धी दिशा-निर्देश निम्नवत् है-

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत समस्त हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर कार्यरत स्टाफ नर्स को एन0सी0डी0 माड्यूल में ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति ही प्रशिक्षण कराया जाना है। एन0सी0डी0 माड्यूल के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रशिक्षकों द्वारा सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र पर प्रदान किया जायेगा।

प्रत्येक बैच में प्रतिदिन अधिकतम 04 एवं न्यूनतम 03 प्रशिक्षक ही प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। समस्त प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण स्तर पर उपस्थित रहना तथा सक्रिय सहभागिता देना आवश्यक है। किसी भी दशा में ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान न किया जाये जिन्होंने प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) प्राप्त न किया हो।

1. प्रतिभागियों का चयन

एन0सी0डी0 माड्यूल के अन्तर्गत जनपदों में हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर हेतु चयनित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की समस्त स्टाफ नर्स का प्रशिक्षण कराया जाना है।

2. प्रशिक्षण स्थल सम्बन्धी व्यवस्थाएं

- सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र पर स्टाफ नर्स का 03 दिवसीय (आवासीय) एन0सी0डी0 माड्यूल (प्रति संलग्न) के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए की प्रशिक्षण स्थल पर समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हो।
- स्टाफ नर्स के ठहरने, भोजन, पीने के पानी, सुरक्षा, साफ सफाई, बिजली/जेनरेटर आदि की समुचित व्यवस्था की जाए।
- प्रशिक्षण के दौरान स्टाफ नर्स के लिए दो बार चाय, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन आदि की व्यवस्था की जानी है। प्रशिक्षकों की चाय, भोजन आदि हेतु भी बजट में व्यवस्था की गयी है।

- प्रत्येक प्रशिक्षण बैच में 30 स्टाफ नर्स प्रतिभाग करेंगी। किसी भी दशा में 20 से कम का बैच आयोजित नहीं किए जाएंगे। विशेष परिस्थिति में राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा, अतः प्रतिभागियों के नामांकन की पुष्टि ससमय कराए।
- प्रशिक्षण ऐसे कक्ष में आयोजित किया जाय जहां 30 स्टाफ नर्स तथा चार प्रशिक्षकों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो सके। अभ्यास सत्र एवं ग्रुप वर्क हेतु अतिरिक्त कक्षों की व्यवस्था भी की जानी होगी।
- प्रशिक्षण कक्ष में ब्लैक/व्हाइट बोर्ड, आई0ई0सी0 सामग्री तथा बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

3. प्रशिक्षण का संचालन एवं प्रशिक्षण कैलेंडर

- जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर द्वारा संबंधित जनपदों के डी0सी0पी0एम0 के साथ समन्वय स्थापित कर, नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 के निर्देशन में प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार कर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई/परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0, को प्रेषित किया जायेगा। प्रशिक्षण कैलेंडर में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी जिससे राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जा सके।
- प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन प्रशिक्षण मॉड्यूल की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए किया जाये। कार्यक्रम सारणी में दी गई सत्र योजना, समय योजना, सत्रों की विषयवस्तु तथा प्रशिक्षण पद्धति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर कार्यरत स्टाफ नर्स को एन0सी0डी0 मॉड्यूल में ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति ही प्रशिक्षण कराया जाना है। प्रशिक्षण एन0सी0डी0 मॉड्यूल पर राज्य स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किया जायेगा।
- प्रशिक्षण के दौरान वार्ता कक्ष में सत्रों के साथ-साथ अभ्यास सत्र अवश्य आयोजित किये जाये।
- प्रशिक्षण कार्य हेतु जेनरेटर की व्यवस्था भी प्रधानाचार्य सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केन्द्र द्वारा अवश्य सुनिश्चित करायी जाये जिस हेतु पी0ओ0एल0 की व्यवस्था Institutional overhead बजट में की गई है।
- प्रशिक्षण के प्रथम दिन प्री-टेस्ट तथा अन्तिम दिन पोस्ट-टेस्ट कराया जाय एवं प्रतिभागियों का फिडबैक लिया जाये। ये सभी प्रपत्र प्रशिक्षण केन्द्र स्तर पर प्रशिक्षकों की मदद से तैयार किये जायेंगे जिसका प्रारूप संलग्न है।
- प्रशिक्षकों को उनके द्वारा लिये जाने वाले सत्रों/विषयों के विषय में प्रस्तुतिकरण पूर्व में ही तैयार कर लिया जाये।
- प्रशिक्षण के आयोजन के साथ किसी अन्य प्रशिक्षण/गतिविधि/कार्यक्रम को न लगाया जाये और न ही प्रशिक्षकों को किसी अन्य प्रशिक्षण/गतिविधि में लगाया जाये।

4. वित्तीय मानक एवं दिशा निर्देश

- व्यय के मानक (अधिकतम) नीचे दर्शाये जा रहे हैं, जो वास्तविक व्यय के आधार पर मान्य होंगे। व्यय का आंकलन वास्तविक संख्या के अनुसार ही किया जायेगा।

तलिका-1 (Cost of 03 days Staff Nurse Training at RHFWTC Level)

Sr.	Item	Rate	Days	Units	Amount
1	Per diem to participants	300	3	30	27,000
2	Honoraria to Trainers	600	3	4	7,200
3	Food for Participants (Breakfast, Tea, Lunch, Dinner etc.)	250	3	30	22,500
4	Food for trainers	250	3	4	3,000
5	Contingency (Module photocopy, Register, Pen, pencil, rubber, cutter, Group photography, certificate, Banner etc.)	300	1	30	9,000
	Total				68,700
6	IOH [15%] [Applicable in training centre]				10,305
7	TA to Participant /Trainer as per norm on actual basis				15,000
	Total cost for 1 batch				94,005
	Grand Total cost for 30 batches [856 SN]	94,005		30	28,20,150

5. अन्य व्यवस्थायें

- स्टाफ नर्स को प्रशिक्षणोंपरान्त परडायम एवं यात्रा भत्ता तालिका में अंकित धनराशि में से वास्तविक व्यय के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा।
- प्रशिक्षकों को मानदेय का भुगतान ऊपर तालिका में दी गयी दर से किया जायेगा।
- विभिन्न मदों पर व्यय प्रतिभागियों की संख्या एवं वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित बजट सीमा के भीतर ही किया जाएगा एवं समस्त भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से किया जायेगा।
- वित्तीय मानकों में किसी प्रकार के परिवर्तन न किये जाये।
- यात्रा भत्ता का भुगतान राजकीय मानकों के अनुसार वास्तविक व्यय के आधार पर किया जायेगा।
- सभी बिल वाउचर, प्रशिक्षण की फोटोग्राफ, प्रतिभागियों की सूची, रिसोर्स परसन की सूची, नाम, पता उनको दिया गया मानदेय आदि समस्त अभिलेख भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जायें। प्रशिक्षण के दौरान वितरित की गयी सामग्री का विवरण भी सुरक्षित रखना होगा।
- प्रशिक्षण उपरान्त प्रतिभागियों की सूची, प्रशिक्षण की फोटोग्राफ एवं प्रशिक्षण नोट राज्य स्तर पर प्रेषित किया जायेगा।

6. वित्तीय प्रबन्धन

प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थापित हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की समस्त स्टाफ नर्स को प्रशिक्षित किया जाना है, जिसके संबंध में एफ0एम0आर0 कोड U.9.5.9 के अन्तर्गत रू0 94,005/- प्रति बैच की दर से कुल रू0 28.20 लाख की धनराशि आवंटित/अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि का उपयोग नियमानुसार स्टाफ नर्स के प्रशिक्षण हेतु किया जायेगा।

7. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

प्रशिक्षण सत्र का अनुश्रवण जनपद एवं मण्डल स्तरीय अधिकारी द्वारा अवश्य किया जाए। प्रशिक्षण बैच की समाप्ति के पश्चात जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण की रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित की जाएगी।

ए0एन0एम0 तथा आशाओं के एन0सी0डी0 माड्यूल के अन्तर्गत प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 592 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 405 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर से सम्बन्धित समस्त ए0एन0एम0 तथा आशाओं को भारत सरकार द्वारा प्रेषित एन0सी0डी0 माड्यूल (प्रति संलग्न) पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। ए0एन0एम0 का 3 दिवसीय एवं आशाओं का 5 दिवसीय प्रशिक्षण जनपद स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

प्रशिक्षण सम्बन्धी दिशा-निर्देश निम्नवत् है-

1. प्रशिक्षक

प्रत्येक बैच में प्रतिदिन एन0सी0डी0 माड्यूल के अन्तर्गत राज्य स्तर पर प्रशिक्षित 04 प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण पर प्रदान किया जाएगा।

उक्त सभी प्रशिक्षकों का प्रतिदिन प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित रहना तथा सक्रिय सहभागिता देना आवश्यक है। किसी भी दशा में ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान न किया जाये जिन्होंने प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) प्राप्त न किया हो।

2. प्रतिभागियों का चयन

एन0सी0डी0 माड्यूल के अन्तर्गत जनपदों में हेल्थ एंड वेलनेस सेन्टर हेतु चयनित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रति हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर की समस्त ए0एन0एम0 तथा आशाओं को प्रशिक्षित कराया जाना है।

3. प्रशिक्षण स्थल सम्बन्धी व्यवस्थाएं

- प्रशिक्षण स्थल पर ए0एन0एम0/आशाओं के भोजन, पीने के पानी, साफ सफाई, बिजली/जेनरेटर आदि की समुचित व्यवस्था की जाए।
- प्रशिक्षण के दौरान ए0एन0एम0/आशाओं के लिए दो बार चाय, नाश्ता, भोजन, आदि की व्यवस्था की जानी है। प्रशिक्षकों के लिए चाय, भोजन आदि हेतु भी बजट में व्यवस्था की गयी है।
- जनपद स्तरीय ए0एन0एम0 एवं आशाओं का एन0सी0डी0 माड्यूल प्रशिक्षण बैच में 30 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। किसी भी दशा में 20 से कम प्रतिभागियों का बैच आयोजित न किया जाये। विशेष परिस्थिति में राज्य स्तर से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा, अतः प्रतिभागियों के नामांकन की पुष्टि ससमय कराये।
- प्रशिक्षण ऐसे कक्ष में आयोजित किया जाय जहां 30 प्रतिभागियों तथा चार प्रशिक्षकों के बैठने की समुचित व्यवस्था हो सके। अभ्यास सत्र एवं ग्रुप वर्क हेतु अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था भी की जानी होगी।
- प्रशिक्षण कक्ष में ब्लैक/व्हाइट बोर्ड, आई0ई0सी0 सामग्री तथा बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- प्रशिक्षण से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षण सम्बन्धी समस्त आवश्यक व्यवस्थायें उपलब्ध हों।

4. प्रशिक्षण का संचालन एवं प्रशिक्षण कैलेण्डर

- जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर द्वारा संबंधित जनपदों के डी0सी0पी0एम0 के साथ समन्वय स्थापित कर, नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 के निर्देशन में प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कर राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई/परिवार कल्याण महानिदेशालय उ0प्र0, को प्रेषित किया जायेगा। प्रशिक्षण कैलेण्डर में किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में सूचना राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी जिससे राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जा सके।
- प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन प्रशिक्षण माड्यूल की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए किया जाये। कार्यक्रम सारणी में दी गई सत्र योजना, समय योजना, सत्रों की विषयवस्तु तथा प्रशिक्षण पद्धति का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

- हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर कार्यरत ए०एन०एम० तथा आशा को एन०सी०डी० मॉड्यूल में ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति ही प्रशिक्षण कराया जाना है। प्रशिक्षण एन०सी०डी० मॉड्यूल पर राज्य स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों द्वारा प्रदान किया जायेगा।
 - प्रशिक्षण के दौरान वार्ता कक्ष में सत्रों के साथ-साथ अभ्यास सत्र अवश्य आयोजित किये जायें।
 - प्रशिक्षण कार्य हेतु जेनरेटर की व्यवस्था भी अवश्य सुनिश्चित करायी जाये जिसके हेतु पी०ओ०एल० की व्यवस्था Institutional overhead बजट में की गई है।
 - प्रशिक्षण के प्रथम दिन प्री-टेस्ट तथा अन्तिम दिन पोस्ट-टेस्ट कराया जाय एवं प्रतिभागियों का फिडबैक लिया जाये। ये सभी प्रपत्र प्रशिक्षण केन्द्र स्तर पर प्रशिक्षकों की मदद से तैयार किये जायेंगे जिसका प्रारूप संलग्न है।
 - प्रशिक्षकों को उनके द्वारा लिये जाने वाले सत्रों/विषयों के बारे में प्रस्तुतिकरण पूर्व में ही तैयार कर लिया जाये।
 - प्रशिक्षण के आयोजन के साथ किसी अन्य प्रशिक्षण/गतिविधि/कार्यक्रम को न लगाया जाये और न ही प्रशिक्षकों को किसी अन्य प्रशिक्षण/गतिविधि में लगाया जाये।
- 5. वित्तीय मानक एवं दिशा निर्देश**
- व्यय के मानक (अधिकतम) नीचे दर्शाये जा रहे हैं, जो वास्तविक व्यय के आधार पर मान्य होंगे। व्यय का आंकलन वास्तविक संख्या के अनुसार ही किया जायेगा।

तालिका-1 (Cost of 03 days ANM Training on NCD at District Level) 30 Participant per batch

Sr.	Item	Rate	Days	Units	Amount
1	Per diem to participants	300	3	30	27,000
2	Honoraria to Trainers	600	3	4	7,200
3	Food for Participants (Breakfast, Tea, Lunch, etc.)	250	3	30	22,500
4	Food for trainers (Lunch, Tea etc.)	250	3	4	3,000
5	Contingency (Module photocopy, Register, Pen, pencil, rubber, cutter, Group photography, certificate, Photocopy,	300	1	30	9,000
	Total				68,700
6	TA to ANM as per norm on actual basis				9,000
7	IOH [15%] [Applicable in training centre]				10,305
	Total cost for 1 batch				88,005
	Grand Total cost for 56 batches [2031 ANM]	88,005		56	49,28,280

तालिका-2 (Cost of 05 Days ASHA Training on NCD at District Level) 30 Participant per batch

Sr.	Item	Rate	Days	Units	Amount
1	Per diem to ASHA	150	5	30	22,500
2	Honoraria to Trainers	500	5	4	10,000
3	Food for ASHA & Trainers (Tea, Lunch etc.)	100	5	34	17,000
4	Contingency (Register, Pen, Bag, Stationary etc.)	100	1	30	3,000
5	POL for Generator, Field Visit etc.				4,500
6	Module	100	1	30	3,000
7	TA to ASHA as per norm on actual basis	100	5	30	15,000
8	TA to NGO Trainers as per norm on actual basis	200	1	2	400
	Total Cost				75,400
	Grand Total cost for 150 batches [4719 U-ASHA]	75400		150	1,13,10,000

6. अन्य व्यवस्थायें

- प्रतिभागियों को प्रशिक्षणोपरान्त परडायम एवं यात्रा भत्ता के रूप में तालिका में अंकित धनराशि के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
- प्रशिक्षकों को मानदेय का भुगतान ऊपर तालिका में दी गयी दर से किया जायेगा।
- विभिन्न मदों पर व्यय प्रतिभागियों की संख्या एवं वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित बजट सीमा के अन्दर ही करना होगा एवं समस्त भुगतान पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से किया जायेगा।
- वित्तीय मानकों में किसी प्रकार के परिवर्तन न किये जायें।

- यात्रा भत्ता का भुगतान राजकीय मानकों के अनुसार वास्तविक व्यय के आधार पर किया जायेगा।
- सभी बिल वाउचर, प्रशिक्षण की फोटोग्राफ, प्रतिभागियों की सूची, रिसोर्स परसन की सूची, नाम, पता उनको दिया गया मानदेय आदि समस्त अभिलेख भविष्य के लिए सुरक्षित रखे जायें। ए0एन0एम0/आशा को वितरित की गयी सामग्री का विवरण भी सुरक्षित रखना होगा।
- प्रशिक्षण उपरान्त प्रतिभागियों की सूची, प्रशिक्षण की फोटोग्राफ एवं प्रशिक्षण नोट राज्य स्तर पर प्रेषित किया जायेगा।

7. वित्तीय प्रबन्धन

ए0एन0एम0 के प्रशिक्षण हेतु एफ0एम0आर0 कोड U.8.1.10.3.2 के अर्न्तगत रू0 88,005/- प्रति बैच की दर से कुल रू0 49.28 लाख की धनराशि तथा शहरी आशाओं के प्रशिक्षण हेतु एफ0एम0आर0 कोड U.8.1.10.3.1 के अर्न्तगत रू0 75,400/- प्रति बैच की दर से कुल रू0 113.10 लाख की धनराशि आवंटित/अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि का नियमानुसार आशा एवं ए0एन0एम0 के प्रशिक्षण हेतु किया जाये।

जनपद वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मिरजापुर एवं सोनभद्र में 1-1 HWC इस प्रकार कुल 05 HWC को क्रियाशील किये जाने हेतु एस0पी0एम0यू0 के पत्र संख्या SPMU/NUHM/HWC/2018-19/76/4663-5 दिनांक: 02.08.2018 के माध्यम से निर्देश प्रेषित करते हुए प्रशिक्षण हेतु धनराशि आवंटित की जा चुकी हैं।

यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में जिन जनपदों को ए0एन0एम0 एवं आशाओं के प्रशिक्षण हेतु धनराशि आवंटित नहीं की गयी है वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों के हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर हो रहे ए0एन0एम0 एवं आशाओं के प्रशिक्षण के साथ सम्मिलित कर एन0सी0डी0 मॉड्यूल हेतु प्रशिक्षित की जायेंगी।

जिन जनपदों में शहरी क्षेत्र की आशा एवं ए0एन0एम0 के प्रशिक्षण हेतु गैर संचारी रोग अनुभाग द्वारा भी धनराशि आवंटित की गई है वहाँ गैर संचारी रोग अनुभाग द्वारा आवंटित धनराशि के उपयोग के पश्चात् आवश्यकतानुसार इस धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। प्रशिक्षण हेतु आवंटित धनराशि को वित्तीय एवं कय नियमों को ध्यान में रखते हुए व्यय करना सुनिश्चित किया जाये, किसी भी दशा में बजट की duplicacy ना हो।

8. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

प्रशिक्षण सत्र का अनुश्रवण जनपद एवं मण्डल स्तरीय अधिकारी द्वारा अवश्य किया जाए। प्रशिक्षण बैच की समाप्ति के पश्चात् जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण की रिपोर्ट राज्य स्तर पर प्रेषित की जाएगी।

फैमिली फोल्डर एवं सी-बैक फॉर्म के मुद्रण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के 405 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। इन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर सभी व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जानी है जिसमें से गैर संचारी रोगों से सम्बन्धित सेवाएं प्रमुख है।

समस्त स्टाफ नर्स, आशा एवं ए0एन0एम0, को भारत सरकार द्वारा निर्धारित एन0सी0डी0 माड्यूल में प्रशिक्षण उपरान्त अपने क्षेत्र के समस्त घरों का भ्रमण कर सूचनाएं फैमिली फोल्डर में अंकित की जानी है तथा क्षेत्र के सभी 30 वर्ष से ऊपर के स्त्री एवं पुरुषों की गैर संचारी रोगों हेतु स्क्रीनिंग भी की जानी है। उक्त स्क्रीनिंग हेतु फैमिली फोल्डर एवं सी-बैक फॉर्म का मुद्रण समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तर पर किया जाएगा। इस हेतु एफ0एम0आर0 कोड U.12.1 Printing activities के अन्तर्गत फैमिली फोल्डर एवं सी-बैक फॉर्म के मुद्रण @ ₹0 10/- प्रति फैमिली फोल्डर एवं सी-बैक फॉर्म प्रति शहरी आशा प्रति 400 household की दर से 405 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर हेतु कुल ₹0 191.04 लाख की धनराशि डैप द्वारा जनपदों को आवंटित की चुकी है।

मुद्रण हेतु मानक एवं दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं-

फैमिली फोल्डर एवं सी-बैक हेतु मानक- आशा द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त घरों का भ्रमण कर सूचनाएं फैमिली फोल्डर में अंकित की जानी है तथा 30 वर्ष से ऊपर के स्त्री एवं पुरुषों की गैर संचारी रोगों हेतु स्क्रीनिंग भी की जानी है। जनसंख्या का लगभग 37 प्रतिशत भाग 30 वर्ष से अधिक के आयु की स्त्री एवं पुरुषों का होता है। उक्त के दृष्टिगत निम्नतालिकानुसार मुद्रण कराना सुनिश्चित किया जाय-

क्रम सं०	वस्तु का नाम	स्पेसिफिकेशन	अनुमानित मात्रा प्रति आशा
1	फैमिली फोल्डर	Four color offset printing dye cut folder (300 gsm FRC), Size-484 mmX 450mm including pocket.	2000 (400 House hold x 5 family member)
2	सहमति पत्र	Four color offset printing single side, (170 gsm lucky print), Size-220 mmX 317mm.	740 (2000 x 37%)
3	समुदाय आधारित मूल्यांकन प्रपत्र (C-BAC Form)		740 (2000 x 37%)
4	व्यक्तिगत स्वास्थ्य कार्ड		740 (2000 x 37%)

फैमिली फोल्डर एवं सी-बैक का वितरण- मुद्रण के पश्चात जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा फैमिली फोल्डर एवं सी-बैक फॉर्म का वितरण हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के प्रभारी चिकित्साधिकारी को आवश्यकतानुसार प्राप्त कराया जाएगा। तदपश्चात प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सम्बन्धित आशाओं को आवश्यकतानुसार फैमिली फोल्डर एवं सी-बैक फॉर्म उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उ०प्र०। (अमेठी, बस्ती, चित्रकूट, गाजिपुर, हरदोई, हाथरस, कानपुर देहात, कासगंज, कुशीनगर,
महाराजगंज, मथुरा, शामली, श्रावस्ती एवं सिद्धार्थनगर को छोड़कर)

दिनांक: 17-7-2019

पत्रांक:- SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/

विषय:- हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर तैनात स्टाफ नर्स, ए०एन०एम० तथा आशा को एन०सी०डी० माड्यूल के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं फ़ैमिली फोल्डर के मुद्रण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

आप अवगत है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों के चिन्हित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर स्थापित किये जा रहे हैं। हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर पर सभी व्यक्तियों को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जानी है। इसके अन्तर्गत क्षेत्र के सभी 30 वर्ष से ऊपर स्त्री एवं पुरुषों की गैर संचारी रोगों हेतु स्क्रीनिंग भी की जानी है।

गैर संचारी रोगों की स्क्रीनिंग एवं उपचार हेतु हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर से संबंधित समस्त स्टाफ नर्स, ए०एन०एम० एवं आशा को भारत सरकार द्वारा निर्धारित एन०सी०डी० माड्यूल में प्रशिक्षित किया जायेगा। प्रशिक्षण के पश्चात स्टाफ नर्स एवं ए०एन०एम० की सहायता से आशाओं द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त घरों का भ्रमण कर सूचनाएं फ़ैमिली फोल्डर में अंकित की जानी है तथा 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के समस्त पुरुष एवं महिलाओं की गैर संचारी रोगों हेतु स्क्रीनिंग कराई जानी है। उक्त स्क्रीनिंग हेतु फ़ैमिली फोल्डर एवं सी-बैक फॉर्म का मुद्रण भी जनपद स्तर पर कराया जाना है, जिसके लिए डैप में धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 400 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु एन०सी०डी० माड्यूल में 856 स्टाफ नर्स का प्रशिक्षण सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र (RHFWC) पर कराया जायेगा जिस हेतु एफ०एम०आर० कोड U.9.5.9 में कुल रू० 28.20 लाख की धनराशि संबंधित सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र के जनपद को संलग्न फाट एवं दिशा-निर्देश के साथ आवंटित की जा रही है (संलग्नक-1)।

इसके अतिरिक्त जनपदीय स्तर पर ए०एन०एम० एवं आशाओं का एन०सी०डी० से संबंधित प्रशिक्षण कराया जाना है। 2031 ए०एन०एम० के प्रशिक्षण हेतु एफ०एम०आर० कोड U.8.1.10.3.2 में कुल रू० 49.28 लाख की धनराशि तथा 4719 शहरी आशाओं के प्रशिक्षण हेतु एफ०एम०आर० कोड U.8.1.10.3.1 में कुल रू० 113.10 लाख की धनराशि दिशा-निर्देशों के साथ संबंधित जनपद को संलग्न फाट के अनुसार आवंटित की जा रही है (संलग्नक-2)।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत 405 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु फ़ैमिली फोल्डर एवं सी-बैक फॉर्म का मुद्रण जनपद स्तर पर समस्त वित्तीय एवं क्रय नियमों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इस हेतु एफ०एम०आर० कोड U.12.1 Printing activities के अन्तर्गत फ़ैमिली फोल्डर एवं सी-बैक फॉर्म मुद्रण @ रू० 10/- प्रति फ़ैमिली फोल्डर एवं सी-बैक फॉर्म प्रति शहरी आशा प्रति 400 household की दर से 405 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर हेतु कुल रू० 191.04 लाख की धनराशि डैप द्वारा जनपदों को आवंटित की जा चुकी है तथा दिशा-निर्देश पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहें हैं (संलग्नक-3)।

स्टाफ नर्स, आशा एवं ए0एन0एम0 के प्रशिक्षण हेतु निम्न तालिकानुसार जनपदों को धनराशि अवमुक्त/आवंटित की जा रही है-

S.No	Districts	No. of HWC	Multiskilling of Staff Nurse (FMR code U.9.5.9)				Multiskilling of U-ASHA (FMR code U.8.1.10.3.1)			Multiskilling of FHW (ANM) (FMR code U.8.1.10.3.2)			Total Budget Allocated to District	
			Approved SN at HWC	RHFUTC	Total SN to be trained per RHFUTC	No. of batches to be trained	Batch cost (@ Rs. 94,005 per batch in Rs.)	Approved U-ASHA at HWC	No. of batches to be trained	Batch cost (@ Rs. 75,400 per batch in Rs.)	Approved ANM at HWC	No. of batches to be trained		Batch cost (@ Rs. 88,005 per batch in Rs.)
1	Agra	25	45	Agra	86	3	282015.00	445	14	1055600.00	11	4	352020.00	1689635.00
2	Aligarh	8	17					174	6	452400.00	40	2	176010.00	628410.00
3	Etah	2	3					18	0	0.00	10	0	0.00	0.00
4	Firozabad	8	18					147	5	377000.00	46	2	176010.00	553010.00
5	Mainpuri	1	3					10	0	0.00	6	0	0.00	0.00
6	Allahabad	16	85	Allahabad	96	3	282015.00	254	8	603200.00	10	4	352020.00	1237235.00
7	Fatehpur	1	1					9	0	0.00	6	0	0.00	0.00
8	Kaushambi	1	2					3	0	0.00	2	0	0.00	0.00
9	Mirzapur	2	3					19	0	0.00	12	0	0.00	0.00
10	Pratapgarh	1	3					4	0	0.00	6	0	0.00	0.00
11	Sant Ravidas Nagar	1	2					18	0	0.00	8	0	0.00	0.00
12	Bareilly	16	40	Bareilly	48	2	188010.00	167	6	452400.00	83	3	264015.00	904425.00
13	Badaun	1	2					17	0	0.00	5	0	0.00	0.00
14	Pilibhit	1	2					26	1	75400.00	10	0	0.00	75400.00
15	Shahjahanpur	2	4					27	1	75400.00	6	0	0.00	75400.00
16	Ambedkar Nagar	2	5	Faizabad	22	1		16	0	0.00	9	0	0.00	0.00
17	Bahraich	2	3					37	1	75400.00	16	0	0.00	75400.00
18	Balrampur	1	2					20	1	75400.00	6	0	0.00	75400.00
19	Barabanki	1	3					4	0	0.00	7	0	0.00	0.00
20	Faizabad	3	5				94005.00	24	1	75400.00	13	0	0.00	169405.00
21	Gonda	1	1					2	0	0.00	5	0	0.00	0.00
22	Sultanpur	2	3	Gorakhpur	38	1		45	2	150800.00	10	0	0.00	150800.00
23	Deoria	2	4					29	1	75400.00	9	0	0.00	75400.00
24	Gorakhpur	19	31				94005.00	279	9	678600.00	68	2	176010.00	948615.00
25	Sant Kabir Nagar	1	3					2	0	0.00	3	0	0.00	0.00
26	Banda	2	4	Jhansi	43	2		6	0	0.00	15	0	0.00	0.00
27	Hamirpur	1	3					15	0	0.00	1	0	0.00	0.00
28	Jalaun	4	7					35	1	75400.00	22	1	88005.00	163405.00
29	Jhansi	10	21				188010.00	84	3	226200.00	36	1	88005.00	502215.00
30	Lalitpur	2	3					3	0	0.00	12	0	0.00	0.00
31	Mahoba	2	5					19	0	0.00	9	0	0.00	0.00
32	Auraiya	1	2	Kanpur	115	4		20	1	75400.00	7	0	0.00	75400.00
33	Etawah	2	4					16	0	0.00	11	0	0.00	0.00
34	Farrukhabad	3	8					77	3	226200.00	18	0	0.00	226200.00
35	Kannauj	3	7					14	0	0.00	14	0	0.00	0.00
36	Kanpur Nagar	45	94				376020.00	435	14	1055600.00	225	7	616035.00	2047655.00
37	Lakhimpur Kheri	1	2					3	0	0.00	5	0	0.00	0.00
38	Lucknow	48	98	Lucknow	114	4	376020.00	457	15	1131000.00	250	8	704040.00	2211060.00
39	Raebareli	3	6					28	1	75400.00	16	0	0.00	75400.00
40	Sitapur	2	4					13	0	0.00	13	0	0.00	0.00
41	Unnao	2	4					18	0	0.00	14	0	0.00	0.00
42	Baghpat	1	3	Meerut	190	6		4	0	0.00	5	0	0.00	0.00
43	Bulandshar	5	11					84	3	226200.00	32	1	88005.00	314205.00
44	G B Nagar	12	26					92	3	226200.00	74	2	176010.00	402210.00
45	Ghaziabad	33	75					159	5	377000.00	165	6	528030.00	905030.00
46	Hapur	2	4					48	2	150800.00	18	0	0.00	150800.00

S.No	Districts	No. of HWC	Multiskilling of Staff Nurse (FMR code U.9.5.9)				Multiskilling of U-ASHA (FMR code U.8.1.10.3.1)			Multiskilling of FHW (ANM) (FMR code U.8.1.10.3.2)			Total Budget Allocated to District	
			Approved SN at HWC	RHFWTC	Total SN to be trained per RHFWTC	No. of batches to be trained	Batch cost (@ Rs. 94,005 per batch in Rs.)	Approved U-ASHA at HWC	No. of batches to be trained	Batch cost (@ Rs. 75,400 per batch in Rs.)	Approved ANM at HWC	No. of batches to be trained		Batch cost (@ Rs. 88,005 per batch in Rs.)
47	Meerut	21	46	Moradabad	48	2	564030.00	486	16	1206400.00	109	4	352020.00	2122450.00
48	Muzaffarnagar	4	9					49	2	150800.00	35	1	88005.00	238805.00
49	Saharanpur	11	16					149	5	377000.00	51	2	176010.00	553010.00
50	Amroha	4	7					54	2	150800.00	19	0	0.00	150800.00
51	Bijnor	4	7					30	1	75400.00	21	1	88005.00	163405.00
52	Moradabad	18	28				188010.00	166	6	452400.00	60	2	176010.00	816420.00
53	Rampur	1	1					8	0	0.00	6	0	0.00	0.00
54	Sambhal	2	5					20	1	75400.00	14	0	0.00	75400.00
55	Azamgarh	1	2	Varanasi	56	2		12	0	0.00	5	0	0.00	0.00
56	Ballia	1	2					12	0	0.00	4	0	0.00	0.00
57	Chandauli	2	4					12	0	0.00	11	0	0.00	0.00
58	Jaunpur	1	2					2	0	0.00	5	0	0.00	0.00
59	Mau	3	7					20	1	75400.00	18	0	0.00	75400.00
60	Varanasi	23	39				188010.00	273	9	678600.00	103	3	264015.00	1130625.00
Total		400	856	11	856	30	2820150.00	4719	150	11310000.00	2031	56	4928280.00	19058430.00

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग के लिए निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाना है—

1. विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान PFMS पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान नहीं किया जायेगा एवं समस्त बिल बाउचर सुरक्षित रखे जायेंगे, जिन्हें ऑडिट अथवा अन्य जाँच के समय प्रेषित किया जायेगा।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित ऑपरेशनल गाइडलाइन पर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
3. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
4. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

आपसे अनुरोध है कि संलग्न दिशा-निर्देशों के अनुसार शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक: SPMU/NUHM/HWC/2019-20/76/ 3474-10

तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र० ।
2. निदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र० ।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, उ०प्र० ।
4. महाप्रबंधक कम्युनिटी प्रोसेस/उपमहाप्रबंधक एन०सी०डी०, एन०एच०एम० उ०प्र० ।
5. संयुक्त निदेशक, अरबन हेल्थ, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ०प्र० ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० ।
7. समस्त प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, उ०प्र० ।
8. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी एन०यू०एच०एम०, उ०प्र० ।
9. समस्त डिवीजनल अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, एन.यू.एच.एम., उ०प्र० ।
10. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, उ०प्र० ।

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक